प्रेस विज्ञप्ति
24.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल), इसके पूर्व निदेशक संदू पूर्णचंद्र राव, उनके परिवार के सदस्यों और संस्थाओं की 12.65 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी ने विभिन्न निवेशकों/खरीदारों की शिकायतों पर मेसर्स एसआईवीआईपीएल, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इन निवेशकों/खरीदारों को फ्लैट/विला देने का वादा किया गया था, लेकिन मेसर्स एसआईवीआईपीएल और समूह संस्थाओं ने उनके साथ कुल 842.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स एसआईवीआईपीएल ने निवेशकों/घर खरीदारों से फ्लैट/विला देने का वादा करके धन इकट्ठा किया, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी की। जाँच से पता चला कि एसआईवीआईपीएल के पास आवश्यक आरईआरए/एचएमडीए अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता नहीं था और निवेशकों से प्राप्त धन विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था। ईडी की जाँच से यह भी पता चला है कि निवेशकों से 216.91 करोड़ रुपये नकद एकत्र किए गए थे, जिसे जानबूझकर एसआईवीआईपीएल के खातों से बाहर रखा गया था। एसआईवीआईपीएल के प्रबंध निदेशक बी. लक्ष्मीनारायण और निदेशक एवं बिक्री एवं विपणन टीम के प्रमुख संदू पूर्णचंद्र राव ने घर खरीदारों के धन का एक हिस्सा अपने निजी और पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया। घर खरीदारों द्वारा गबन किए गए धन का उपयोग उनके नाम पर, उनके पारिवारिक सदस्यों और बेनामी संपत्तियों के नाम पर अचल संपत्तियाँ हासिल करने के लिए भी किया गया।

एस. पूर्णचंद्र राव ने मेसर्स एसआईवीआईपीएल के ग्राहकों से एकत्र किए गए 126 करोड़ रुपये का गबन किया, 'बिक्री के समझौतों' पर हस्ताक्षर किए और अपने व्यक्तिगत बैंक खातों के साथ-साथ अपने रिश्तेदारों और संस्थाओं के बैंक खातों में धनराशि का प्रबंधन किया, जिसमें 2018 और अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों से नकद में एकत्र किए गए 50 करोड़ रुपये शामिल थे। आगे की जांच से पता चला कि एस. पूर्णचंद्र राव के पास उनके नाम के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां थीं, जो उन्होंने मुख्य रूप से मेसर्स एसआईवीआईपीएल से इस्तीफा देने के बाद अपराध की आय को सफेद करके हासिल की थीं।

ईडी ने पहले मेसर्स एसआईवीआईपीएल, बी. लक्ष्मीनारायण, एस. पूर्णचंद्र राव और अन्य की 161.50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं। बी. लक्ष्मीनारायण और संदू पूर्णचंद्र राव को ईडी ने क्रमशः 29.09.2024 और 25.08.2025 को गिरफ्तार किया था। माननीय एमएसजे कोर्ट, नामपल्ली और माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर विभिन्न जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और वर्तमान में दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) 05.11.2024 को माननीय एमएसजे कोर्ट, नामपल्ली के समक्ष दायर की गई थी और पीसी का संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा लिया गया है।